



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082024-256523
CG-DL-E-21082024-256523

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3189]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 3189]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2024

का.आ. 3505(अ).—केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 31 दिसंबर, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध क्रम सं. 9, और उक्त अधिनियम की अनुसूची में उससे संबंध प्रविष्टियों से है, जो भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) से संबद्ध हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. जेड-28020/19/2023-एएचएस]

पुष्पेंद्र राजपूत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2024

S.O. 3505(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 31st December, 2024 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 9 and the entries relating thereto in the Schedule of the said Act, relating the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) shall come into force.

[F. No. Z-28020/19/2023-AHS]

PUSHPENDRA RAJPUT, Jt. Secy.